रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10, 2004/श्रावण 19, 1926

No. 140] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 2004/SRAVANA 19, 1926

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

पुणे, 2 जुलाई, 2004

ए.एक्स1/शेयर/1201/2004-05.—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पांचवां) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के बाद तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व संस्वीकृति के साथ, एतद्द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठक) विनियम, 2004 अस्तित्व में लाता है।

अध्याय 1
प्रस्तावना

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ -**

(i) ये विनियम **बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठक) विनियम, 2004** कहलाएंगे.

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे.

2. **परिभाषाएं -** इन विनियमों में इनकी विषय वस्तु या संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल किसी बात के नहीं होने पर -

(क) **"अधिनियम"** का अर्थ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 है.

(ख) **"बैंक"** का अर्थ अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित बैंक ऑफ महाराष्ट्र है.

(ग) **"मंडल"** का अर्थ अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित निदेशक मंडल है.

(घ) **"अध्यक्ष"** का अर्थ मंडल का अध्यक्ष है.

(ङ) **"समिति"** का अर्थ मंडल द्वारा विनियम "2 ए" के अन्तर्गत गठित एक समिति से है.

(च) **"कार्यपालक निदेशक"** का अर्थ पूर्णकालिक निदेशक है, जो प्रबंध निदेशक नहीं है.

(छ) **"महाप्रबंधक"** का अर्थ बैंक का महाप्रबंधक है.

(ज) **"प्रबंध समिति"** का अर्थ योजना के खंड 13 के अधीन गठित एक समिति है.

(झ) **"प्रबंध निदेशक"** का अर्थ बैंक का प्रबंध निदेशक है.

(ञ) **"रजिस्टर"** का अर्थ बैंक की एक या अधिक बहियों में अनुपालित शेयर धारकों का रजिस्टर है तथा उसमें अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2जी) के अधीन कंप्यूटर फ्लॉपियों या डिस्कों में संकलित शेयर धारकों का रजिस्टर और निक्षेपागार अधिनियम 1996 (1996 का 22वाँ) की धारा 11 के अंतर्गत निक्षेपागार द्वारा रखे गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर.

(ट) **"रजिस्ट्रार"** का अर्थ बैंक द्वारा नीचे लिखे उद्देश्यों के लिए नियुक्त व्यक्ति है -

(i) निर्गम के संबंध में निवेशकों से आवेदन-पत्रों का संग्रह करना,
(ii) निवेशकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों तथा धनराशियों या प्रतिभूतियों के विक्रेता को प्रदत्त राशियों का समुचित लेखा रखना,
(iii) इन कार्यों में बैंक की सहायता करना -

(क) स्टाक एक्सचेंज से परामर्श करके प्रतिभूतियों के आबंटन का आधार निर्धारित करना,
(ख) प्रतिभूतियों के आबंटन हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप देना.
(ग) निर्गम के संबंध में आबंटन-पत्रों, धनवापसी आदेशों या प्रमाणपत्रों एवं अन्य संबध्द प्रलेखों का प्रसंस्करण करना तथा उन्हें भेजना, और

(iv) बैंक द्वारा समय समय पर सौंपा जाने वाला अन्य कार्य,

(ठ) **"योजना"** का अर्थ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 है.

(ड) **"शेयर"** का अर्थ बैंक की शेयर पूंजी का शेयर है.

(ढ) **"शेयर अंतरण एजेंट"** में -

(i) बैंक द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों के धारकों के अभिलेखों का बैंक की ओर से अनुपालन तथा उसकी प्रतिभूतियों के अंतरण एवं प्रतिदान से संबध्द सभी विषयों में व्यवहार करने वाला कोई व्यक्ति, या

(ii) बैंक का एक विभाग या प्रभाग, (जिसका नाम कुछ भी हो) जो उप-खंड (i) में उल्लिखित कार्यों का निष्पादन करता है, सम्मिलित है.

(ण) अध्याय 3 में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जिनकी परिभाषा इन विनियमों में नहीं दी गयी है परंतु निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 22) में दी गयी है, अधिनियम या योजना में उन्हें क्रमशः दिया गया अर्थ धारण करेंगी.

2 ए (i) विनियम 59 के खण्ड (ii) में किए गए उपबंध को छोड़कर मंडल जब भी आवश्यक समझे इस विनियम के उद्देश्य से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक तथा अन्य दो निदेशकों, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, की सदस्यता वाले समिति का गठन कर सकता है.

(ii) इस विनियम के अंतर्गत गठित समिति मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे नियमों व कार्यविधियों का पालन करेगी.

अध्याय 2
शेयर और शेयर रजिस्टर

3. शेयरों का स्वरूप

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर चल संपत्ति होंगे, जिनका अंतरण इन विनियमों के अंतर्गत बतायी गयी रीति से हो सकता है.

4. शेयर पूंजी के प्रकार

(i) अधिमान शेयर पूंजी का अर्थ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शेयर पूंजी का वह भाग है, जो निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करता है :-

(क) जहां तक लाभांश का संबंध है, यह ऐसी निश्चित राशि या निश्चित दर पर परिकलित राशि प्राप्त करने का अधिमान्य अधिकार रखता है जो आयकर से मुक्त हो या उसके अधीन हो तथा

(ख) जहां तक पूंजी का संबंध है, यह समापन पर पूंजी के पुनर्भुगतान, प्रदत्त या प्रदत्त मानी जाने वाली पूंजी की राशि का भुगतान प्राप्त करने का अधिमान्य अधिकार धारण करता है या करेगा, भले ही नीचे उल्लिखित राशियों में से किसी एक या दोनों के भुगतान का अधिमान्य अधिकार प्राप्त हो या नहीं हो :-

क) समापन या पूंजी के पुनर्भुगतान के दिनांक तक खंड (ए) में विनिर्दिष्ट राशियों के संबंध में अदत्त रहने वाली कोई राशि तथा

ख) कोई निश्चित प्रीमियम या केन्द्रीय सरकार की पूर्व सम्मति के साथ मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट किसी निश्चित मान पर प्रीमियम.

(ii) **"ईक्विटी शेयर पूंजी"** का अर्थ ऐसी सारी शेयर पूंजी है जो अधिमान शेयर पूंजी नहीं है.

(iii) "अधिमान शेयर" और "ईक्विटी शेयर पूंजी" पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा.

5. रजिस्टर में दर्ज किये जाने वाले विवरण :

(i) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2(एफ) के अनुसार एक शेयर रजिस्टर रखा जाएगा तथा उसका अनुपालन किये जाने के साथ उसे अद्यतन भी बनाया जाएगा.

(ii) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2(एफ) में विनिर्दिष्ट विवरणों के अतिरिक्त मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट होने वाले अन्य विवरण भी रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे.

(iii) किसी शेयर के संयुक्त धारकों के मामले में, उनके नाम और उप-विनियम (i) द्वारा अपेक्षित विवरण ऐसे संयुक्त धारकों में से प्रथम धारक के नाम के अंतर्गत समूहित होंगे.

(iv) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 (डी) के परंतुक के अधीन, भारत के बाहर निवास करने वाला कोई धारक बैंक को भारत में एक पता प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसा कोई पता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उसे अधिनियम तथा इन विनियमों के उद्देश्य हेतु उसका पंजीकृत माना जाएगा.

5 ए. (i) जब तक कि ऐसे प्रारूप में रजिस्टर नहीं रखा जाता, जो स्वयं एक अनुक्रमणिका हो, या बैंक अनुक्रमणिका रखेगा, जो कि शेयर धारकों के नामों की कार्ड अनुक्रमणिका के प्रारूप में हो सकती है और शेयर धारकों के रजिस्टर में किए गए परिवर्तनों के दिनांक से चौदह दिनों के भीतर बैंक ऐसी अनुक्रमणिका में आवश्यक परिवर्तन करेगा.

(ii) अनुक्रमणिका शेयर धारकों के रजिस्टर के साथ रखी जायेगी.

6. शेयरों और रजिस्टरों पर नियंत्रण -

रजिस्टर, अधिनियम तथा इन विनियमों के प्रावधानों तथा मंडल द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले निदेशनों के अधीन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में रखा जाएगा तथा अनुपालित होगा और वह मंडल के नियंत्रण में होगा तथा इस विषय में मंडल का निर्णय अंतिम होगा कि कोई व्यक्ति किसी शेयर के संबंध में शेयर धारक के रूप में पंजीकृत होने का पात्र है या नहीं.

7. शेयर धारकों के रूप में पंजीकृत नहीं होने वाली पार्टियां :-

i इन विनियमों द्वारा अन्यथा की गयी व्यवस्था को छोड़कर सभी व्यक्ति जो संविदा करने के लिए असमर्थ है, शेयर धारक के रूप में पंजीकृत होने के पात्र नहीं होंगे तथा इस संबंध में मंडल का फैसला निर्णायक और अंतिम होगा.

ii साझेदारी फर्मों के मामले में शेयरों का पंजीकरण अलग अलग भागीदारों के नामों में किया जा सकता है तथा इस प्रकार कोई फर्म शेयर धारक के रूप में पंजीकृत होने की हकदार नहीं होगी.

8. कंप्यूटर प्रणाली आदि में शेयर रजिस्टर का अनुरक्षण -

i विनियम 5 में उल्लिखित सहित, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2(एफ) के अधीन शेयर रजिस्टर में दर्ज किये जाने हेतु अपेक्षित विवरण, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2(जी) के अधीन, प्रधान कार्यालय में अनुरक्षित होने वाले कंप्यूटरों तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत महाप्रबंधक की श्रेणी से निम्न स्तर के नहीं होने वाले किसी अन्य अधिकारी (जिसे इसमें आगे "प्राधिकृत अधिकारी" कहा जाएगा) द्वारा समय समय पर निर्धारित होने वाले स्थान में

स्थित सहायक व्यवस्था में, डिस्कों, फ्लॉपियों, कार्टरिजों के रूप में या अन्यथा, चुंबकीय / प्रकाशीय/ चुंबक-प्रकाशीय मीडिया (जिसे इसमें आगे "मीडिया" कहा जाएगा) में संचयित डाटा के रूप में अनुरक्षित होंगे.

(ii) निक्षेपी अधिनियम, 1996 की धारा 11 सहित, अधिनियम की धारा 3(बी) के अधीन शेयर रजिस्टर में दर्ज किये जाने हेतु अपेक्षित विवरण उसमें निर्धारित रीति और रूप में इलेक्ट्रॉनिक ढांचे में अनुरक्षित होंगे.

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21वाँ) के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड की सुरक्षा हेतु निर्धारित सुरक्षा उपायों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रजिस्टर रखा जाएगा.

9. कंप्यूटर प्रणाली के संरक्षण हेतु सुरक्षा उपाय :

(i) विनियम 8(1) में बतायी गयी प्रणाली, जिसमें डाटा संचयित है, में प्रवेश इस विषय में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या नामित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत ऐसे व्यक्तियों तक प्रतिबंधित होगा जिनमें निर्गम के रजिस्ट्रार तथा / या शेयर अंतरण एजेंट भी सम्मिलित होंगे तथा पासवर्ड (यदि कोई हों) और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियां उक्त व्यक्तियों की अभिरक्षा में गोपनीय रखी जाएंगी.

(ii) प्राधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश कंप्यूटर प्रणाली द्वारा लॉगों में रिकार्ड किया जाएगा तथा ऐसे लॉग इस विषय में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या नामित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों / व्यक्तियों के पास परिरक्षित होंगे.

(iii) सहायक व्यवस्थाओं की प्रतियां, शेयर धारकों के रजिस्टर में किये गये परिवर्तनों को सम्मिलित करके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या नामित अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट होने वाले अंतरालों में मीडिया पर निकाली जाएंगी. इनमें से कम से कम एक प्रति, जिस स्थान में प्रसंस्करण कार्रवाई की जाती है उससे भिन्न एक स्थान में रखी जाएगी. यह प्रति आग के जोखिम से मुक्त वातावरण में ताला लगाने की व्यवस्था के साथ तथा अपेक्षित तापमान में रखी जाएगी. दोनों स्थानों में सहायक व्यवस्थाओं में प्रवेश अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या नामित अधिकारी द्वारा इस विषय में प्राधिकृत व्यक्तियों तक प्रतिबंधित होगा. इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति संबध्द स्थान में रखे मैन्युअल रजिस्टर में प्रवेश को रिकार्ड करेंगे.

(iv) प्राधिकृत व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि सहायक व्यवस्था की शुध्दता को सुनिश्चित करने हेतु वे उचित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सहायक व्यवस्था में स्थित डाटा की कंप्यूटर प्रणाली में स्थित डाटा से तुलना करें. इस कार्रवाई का परिणाम इस उद्देश्य हेतु अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा.

(v) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के लिए, तकनीक में होने वाली प्रगति की ओर उचित ध्यान देते हुए तथा / या परिस्थिति की अनिवार्य आवश्यकताओं के संदर्भ में या संबध्द किसी अन्य प्रयोजन से, विशेष या सामान्य आदेश के द्वारा, कंप्यूटर प्रणाली में शेयर धारकों के रजिस्टर के अनुरक्षण में किये जाने वाले सुरक्षा उपायों के संबंध में अनुदेशों तथा शर्तों को जोड़ना या उन्हें आशोधित करना विधिसम्मत होगा.

10. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में स्थित है तो रजिस्टर में प्रथम उल्लिखित व्यक्ति मतदान, लाभांशों की प्राप्ति, सूचनाओं की जारी तथा शेयरों के अंतरण को छोड़कर "बैंक ऑफ महाराष्ट्र" से संबंध्द अन्य सभी या किसी विषय के संबंध में उसका एकमात्र धारक माना जाएगा.

11. रजिस्टर का निरीक्षण

(i) यह रजिस्टर, विनियम 12 के अधीन बंद करने की अवधि को छोड़कर, जहां वह अनुरक्षित है उस स्थान में, मंडल द्वारा लगाये जाने वाले न्यायोचित प्रतिबंधों के अधीन, किसी शेयर धारक के निरीक्षण हेतु कार्यसमय के दौरान किसी शुल्क के बिना इस तरह खुला रहेगा कि निरीक्षण हेतु प्रति कार्यदिवस को कम से कम दो घंटों का समय प्रदान किया जाए.

(ii) कोई भी शेयर धारक रजिस्टर या कंप्यूटर-मुद्रण में स्थित किसी प्रविष्टि का उध्दरण किसी शुल्क के बिना निकाल सकता है या यदि उसे रजिस्टर की किसी प्रति या कंप्यूटर-मुद्रण या उसके किसी भाग की आवश्यकता हो तो उसे प्रति निकालने हेतु अपेक्षित प्रति 1000 शब्दों या उसके भिन्नांश के लिए रु.5/- की दर पर पूर्व अदायगी करने पर उसकी आपूर्ति की जाएगी.

(iii) उप-विनियम (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार के किसी विधिवत प्राधिकृत अधिकारी को रजिस्टर में स्थित किसी प्रविष्टि की प्रति निकालने या रजिस्टर या उसके किसी भाग की प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा.

12. रजिस्टर को बंद करना

बैंक, लागू दिशानिर्देशों और स्टॉक एक्सचेंजों के लिस्टिंग समझौते के अनुपालन के बाद अपने मत में आवश्यक समझे जाने पर, भारत में प्रसारित होने वाले कम से कम दो समाचारपत्रों में विज्ञापन के द्वारा न्यूनतम सात दिनों की पूर्व सूचना देने के बाद प्रति वर्ष कुल पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं होने वाली, परंतु किसी एक समय में तीस दिनों से अधिक नहीं होने वाली किसी अवधि या अवधियों के लिए रजिस्टर को बंद रख सकता है.

13. शेयर प्रमाणपत्र

(i) प्रति शेयर प्रमाणपत्र में शेयर प्रमाणपत्र संख्या, एक प्रभेदक संख्या, जिन शेयरों के संबंध में उसे जारी किया जाता है उनकी संख्या तथा जिस शेयर धारक को उसे जारी किया जाता है उसका नाम उल्लिखित होंगे और वह मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में होगा.

(ii) प्रति शेयर प्रमाणपत्र मंडल के एक प्रस्ताव के अनुसरण में बैंक की निगम मुद्रा के साथ जारी किया जाएगा तथा दो निदेशकों तथा इस उद्देश्य हेतु मंडल द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी, जो वेतनमान II से नीचे का नहीं होना चाहिए, या कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगा.
परंतु निदेशकों के हस्ताक्षर मुद्रित, उत्कीर्ण, शिलामुद्रित या मंडल द्वारा निदेशितानुसार किसी अन्य यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा अंकित होंगे.

(iii) इस तरह मुद्रित, उत्कीर्ण, शिलामुद्रित या अन्यथा अंकित हस्ताक्षर स्वयं हस्ताक्षरकर्ता की निजी हस्तलिपि में किये गये हस्ताक्षर के समान ही वैध होंगे.

(iv) इस प्रकार हस्ताक्षरित हुए बिना तथा हस्ताक्षरित होने तक कोई शेयर प्रमाणपत्र वैध नहीं होगा. शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करने से पहले, उन पर जिस किसी के हस्ताक्षर दर्शित हैं उस व्यक्ति के, बैंक की ओर से शेयर प्रमाणपत्रों में हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकरण के समाप्त होने पर भी, इस प्रकार हस्ताक्षरित शेयर प्रमाणपत्र वैध और बाध्यकारी होंगे.

14. शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करना

(i) किसी शेयर धारक को शेयर प्रमाणपत्र जारी करते समय मंडल के लिए किसी एक समय में उसके नाम में पंजीकृत प्रति एक सौ शेयरों या उसके गुणजों के लिए एक प्रमाणपत्र के आधार पर शेयर

प्रमाणपत्र तथा उससे अधिक, परंतु एक सौ से कम संख्या वाले शेयरों के लिए एक अतिरिक्त शेयर प्रमाणपत्र जारी करना वैध होगा.

(ii) यदि पंजीकृत होने वाले शेयरों की संख्या एक सौ से कम है तो उन सभी धारकों के लिए एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.

(iii) अनेक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित किसी शेयर या शेयरों के संबंध में, बैंक एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी शेयर के लिए अनेक संयुक्त धारकों में से किसी एक को प्रमाणपत्र की सुपुर्दगी ऐसे सभी धारकों को पर्याप्त सुपुर्दगी होगी.

15. नया या दूसरा शेयर प्रमाणपत्र जारी करना

(i) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र जीर्ण या विरूपित होता है, तो मंडल या उसके द्वारा नामित समिति ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति पर उसे रद्द करने तथा उसके बदले एक नया प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दे सकती है.

(ii) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र लुप्त या विनष्ट बताया जाता है तो मंडल या उसके द्वारा नामित समिति, मंडल या समिति द्वारा उचित समझी जाने वाली, प्रतिभूतिसहित या उससे रहित जमानत पर तथा दो समाचार पत्रों में घोषित होने और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को उसकी लागतों, शुल्कों तथा व्ययों की अदायगी होने के बाद, इस प्रकार लुप्त या विनष्ट प्रमाणपत्र के हकदार व्यक्ति को उस प्रमाणपत्र के बदले एक अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी कर सकती है.

16. शेयरों का समेकन तथा उप-विभाजन

शेयर धारक (कों) द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र भेजे जाने पर मंडल या उसके द्वारा नामित समिति उसे समेकन / उप-विभाजन हेतु प्रस्तुत किये गये शेयरों के मामले के अनुसार समेकन या उप-विभाजन कर सकती है तथा बैंक को उसकी इस विषय से संबध्द लागतों, शुल्कों तथा प्रासंगिक व्ययों की अदायगी की जाने पर उनके बदले नया / नये प्रमाणपत्र जारी कर सकती है.

17. शेयरों का अंतरण

(i) बैंक के शेयरों का अंतरण इसके साथ संलग्न फार्म "ए" में या बैंक द्वारा समय समय पर अनुमोदित होने वाले किसी अन्य फार्म में एक अंतरण लिखत द्वारा होगा तथा यह लिखत संबध्द शेयर प्रमाणपत्र के साथ संलग्न और अंतरणकर्ता और अंतरिती के द्वारा या उसकी ओर से विधिवत स्टाम्प लगायी गयी दिनांकित एवं निष्पादित होगी.

(ii) अंतरण लिखत शेयर प्रमाणपत्र के साथ बैंक को उसके प्रधान कार्यालय या रजिस्ट्रार और बैंक द्वारा समय समय पर नियुक्त शेयर अंतरण एजेन्ट को प्रस्तुत की जाएगी तथा जब तक उसके संबंध में अंतरिती का नाम शेयर रजिस्टर में दर्ज नहीं होता तब तक अंतरणकर्ता को ही ऐसे शेयरों का धारक माना जाएगा.

(iii) जब बैंक द्वारा, अंतरण को पंजीकृत करने के अनुरोध के साथ, एक अंतरण लिखत संबध्द शेयर प्रमाणपत्र के साथ प्राप्त की जाती है, तब मंडल या मंडल द्वारा नामित समिति अंतरण लिखत को शेयर प्रमाणपत्र के साथ प्राविधिक आवश्यकताओं के पूर्ण रूप से पालन किये जाने के संबंध में सत्यापन के उद्देश्य से रजिस्ट्रार तथा / या शेयर अंतरण एजेंटों को अग्रेषित करेगी. रजिस्ट्रार तथा / या शेयर अंतरण एजेंट शेयर अंतरण लिखत को, यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र हो तो उसके साथ, अंतरिती को पुनःप्रस्तुति हेतु लौटा देगा. यदि, जब तक की पंजीकरण हेतु बैंक को प्रस्तुत अंतरण लिखत विधिवत स्टाम्प लगी और सम्यक रूप से निष्पादित नहीं है तथा संबध्द शेयर प्रमाणपत्र तथा

ऐसे अंतरण के लिए अंतरणकर्ता के स्वत्वाधिकार को दिखाने हेतु मंडल द्वारा अपेक्षित होने वाले अन्य साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी है.

स्पष्टीकरण : "प्राविधिक आवश्यकताओं" का अर्थ है -

(क) अन्तरण विलेख पर विधिवत स्टाम्प लगा हो;

(ख) अन्तरण विलेख में उल्लेखित प्रमाणपत्र संख्या या प्रभेदक संख्या शेयर प्रमाणपत्र से मिलना चाहिए;

(ग) अन्तरणकर्ता के हस्ताक्षर मिलना चाहिए;

(घ) अन्तरण विलेख पर साक्ष्य के हस्ताक्षर होना चाहिए.

(iv) इसके बाद मंडल या मंडल द्वारा नामित समिति, यदि वह विनियम 19 के अधीन अंतरण को पंजीकृत करने से इन्कार नहीं करती है तो अंतरण का पंजीकरण करेगी.

(v) जब तक विनियम 19 के अन्तर्गत शेयरों का अंतरण मना नहीं किया जाता तब तक विधिवत अंतरित शेयर प्रमाणपत्र अन्तरण लिखत प्रस्तुत करने की दिनांक से 60 दिनों के अन्दर अन्तरिती को सुपुर्द कर दिए जाएंगे.

18. अंतरणों को निलंबित करने का अधिकार

मंडल या मंडल द्वारा नामित समिति किसी ऐसी अवधि के दौरान किसी अंतरण का पंजीकरण नहीं करेगी जब रजिस्टर बंद रहता है.

19. शेयरों के अंतरण को पंजीकृत करने से इन्कार करने का मंडल का अधिकार

(i) मंडल या समिति, निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधारों पर तथा किसी अन्य आधार पर नहीं, अंतरिती के नाम से किसी शेयर का अंतरण करने से इन्कार कर सकता है :-

(क) शेयरों का अंतरण अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों या किसी अन्य विधि के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या ऐसे अंतरण के पंजीकरण से संबंधित विधि के अधीन किसी अन्य शर्त का पालन नहीं किया गया है:

(ख) मंडल के मत में शेयरों का अंतरण बैंक के हितों या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है;

(ग) शेयरों का अंतरण उस समय प्रचलित किसी विधि के अधीन न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के आदेश द्वारा निषेधित है ;

(घ) भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति या कंपनी या भारत में अप्रचलित किसी विधि के अधीन निगमित, भारत की निवासी या अनिवासी कोई कंपनी या ऐसी कंपनी की कोई शाखा अंतरण के अनुमत होने पर उसके परिणामस्वरूप बैंक के शेयरों को धारित या अर्जित करेगा / करेगी तथा इस प्रकार का कुल निवेश प्रदत्त शेयर पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक होने के कारण या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के जरिए निर्दिष्टानुसार प्रतिशत से अधिक होगा.

(ii) बैंक के शेयरों की अंतरण लिखत को ऐसे अंतरण के पंजीकरण हेतु अपने पास प्रस्तुत किये जाने के बाद मंडल या समिति इस बारे में अपना अभिमत बनाएगा कि ऐसे पंजीकरण को उप-विनियम (i) में उल्लेखित किसी आधार पर अस्वीकार करना चाहिए या नहीं -

(क) यदि उसने यह अभिमत बनाया है कि ऐसे पंजीकरण को इस तरह अस्वीकार नहीं करना चाहिए तो वह इस तरह के पंजीकरण का कार्य पूरा करेगा, तथा

(ख) यदि उसने यह अभिमत बनाया है कि ऐसे पंजीकरण को उप-विनियम (i) में उल्लेखित किसी आधार पर अस्वीकार करना चाहिए तो वह अंतरण फार्म की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर या

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग समझौते में निर्धारित अवधि के भीतर लिखित सूचना के जरिए अंतरणकर्ता और अंतरिती को सूचित करेगा.

20. मृत्यु, दिवालियापन आदि की स्थिति में शेयरों का प्रेषण

(i) किसी शेयर के संबंध में किसी मृत शेयर धारक के निष्पादक या प्रशासक या वसीयतनामे के साथ संलग्न या असंलग्न वसीयत प्रमाणपत्र या प्रशासनपत्रों या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग x के अधीन जारी किये गये उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक या किसी विधिक अभ्यावेदन का धारक या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके पक्ष में मृत एकमात्र धारक द्वारा अपने जीवन काल में एक वैध अंतरण लिखत निष्पादित की गयी थी, ही एकमात्र व्यक्ति होगा, जिसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा ऐसे शेयर पर स्वत्वाधिकार रखने वाले के रूप में मान्यता दी जाएगी.

(ii) दो या अधिक शेयर धारकों के नाम में पंजीकृत शेयरों के मामले में, एक या अधिक उत्तरजीवी, तथा अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर उसके निष्पादक या प्रशासक या वसीयतनामे के साथ संलग्न या असंलग्न वसीयत प्रमाणपत्रों या प्रशासनपत्रों या उक्त शेयर में ऐसे उत्तरजीवी के हित के संबंध में किसी अन्य विधिक अभ्यावेदन का धारक या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके हित में ऐसे अंतिम उत्तरजीवी द्वारा अपने जीवनकाल में एक वैध शेयर अंतरण लिखत निष्पादित की गयी थी, ही ऐसा एकमात्र व्यक्ति होगा, जिसे ऐसे शेयर का स्वत्वाधिकार धारण करने वाले के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा मान्यता दी जाएगी.

(iii) यदि ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों द्वारा विधि-सम्मान अधिकार क्षेत्र के किसी न्यायालय से मामले के अनुसार वसीयत प्रमाणपत्र या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा.

परंतु इस शर्त पर कि ऐसे मामले में, जहां मंडल अपने विवेकाधिकार से उचित समझता है, क्षतिपूर्ति जैसी या अपने द्वारा उचित समझी जाने वाली अन्य शर्तों पर वसीयत्त प्रमाणपत्रों या प्रशासन पत्रों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या ऐसे विधिक अभ्यावेदनों की प्रस्तुति से छूट देना मंडल के लिए वैध होगा.

(iv) किसी शेयर धारक की मृत्यु के परिणामस्वरूप किसी शेयर का हकदार बनने वाले किसी व्यक्ति को या किसी शेयर धारक के दिवालियापन, धन-शोधन-अक्षमता का परिसमापन के फलस्वरूप किसी शेयर का हकदार बनने वाले किसी व्यक्ति को, मंडल द्वारा अपेक्षित होने वाले साक्ष्य की प्रस्तुति पर निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे -

(क) ऐसे शेयर के संबंध में शेयर धारक के रूप में पंजीकृत होना.

(ख) जैसे वह व्यक्ति, जिससे वह स्वत्वाधिकार ग्रहण करता है, कर सकता था, उसी तरह ऐसे शेयर का अंतरण करना.

21. पंजीकरण हेतु आवश्यक अर्हता को समाप्त करने वाला शेयर धारक

किसी शेयर के संबंध में पंजीकृत होने की अर्हता को समाप्त करने पर, अकेले या किसी अन्य या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से शेयर धारक के रूप में पंजीकृत किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में निदेशक मंडल को तुरंत इसकी सूचना दे.

स्पष्टीकरण - इस विनियम के उद्देश्य से शेयर धारक की पंजीकरण की आर्हताएं समाप्त हो जाती है.

(क) यदि वह अवयस्क का पालक है तो अवयस्क के वयस्क होने पर.

(ख) यदि वह कर्ता है तो कर्ता न रहने पर.

22. शेयरों की मांग

मंडल, समय समय पर शेयर धारकों से उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में अदत्त रहने वाली उन सभी धनराशियों के संबंध में, जो आबंटन की शर्तों द्वारा नियत समयों में देय नहीं बनायी गयी है, अपने द्वारा उचित समझी जाने वाली रीति से मांगे कर सकता है तथा प्रति शेयर धारक अपने से इस तरह की गयी प्रत्येक मांग की राशि को मंडल द्वारा नियुक्त व्यक्ति को उसके द्वारा नियत समय और स्थान में अदा करेगा. मांग की कोई राशि किश्तों में देय हो सकती है.

23. मांग का दिनांक प्रस्ताव के समय से निर्धारित होगा

कोई मांग उस समय की गयी मानी जाएगी जब मंडल का ऐसी मांग को प्राधिकृत करने वाला प्रस्ताव पारित हुआ था तथा रजिस्टर में मंडल द्वारा निर्धारित होने वाले दिनांक को या उसके द्वारा अपने विवेकाधिकार से निर्धारित होने वाले उत्तरवर्ती दिनांक को शेयर धारकों द्वारा देय बनायी जाएगी.

24. मांग की सूचना

प्रत्येक मांग के संबंध में अदायगी के समय को विनिर्दिष्ट करते हुए कम से कम तीस दिनों की सूचना दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी मांग की अदायगी हेतु नियत समय से पहले मंडल शेयर धारकों को लिखित सूचना देकर उसका प्रतिसंहरण कर सकता है.

25. मांग की अदायगी हेतु समय का विस्तार

मंडल समय-समय पर तथा अपने विवेकाधिकार से किसी या सभी शेयर धारकों के लिए, उनके निवास स्थान की दूरी या अन्य किसी पर्याप्त कारण को ध्यान में रखते हुए, किसी मांग राशि की अदायगी हेतु नियत समय का विस्तार कर सकता है परंतु कोई शेयर धारक ऐसे विस्तार के लिए अधिकारात्मक रूप से हकदार नहीं होगा.

26. संयुक्त धारकों की बाध्यताएं

किसी शेयर के संयुक्त धारक उसके संबंध में सभी मांग राशियों को अदा करने के लिए संयुक्त और अलग अलग रूप से बाध्य होंगे.

27. मांग राशियों के रूप में नियत समय पर या किश्तों में देय राशि

यदि किसी शेयर से निर्गम की शर्तों के अनुसार या अन्यथा कोई राशि किसी नियत समय में या नियत समयों में किश्तों में देय होती है तो ऐसी प्रत्येक राशि या किश्त इस तरह देय होगी, मानो यह मांग मंडल द्वारा विधिवत की गयी थी तथा इसकी सूचना समुचित रूप से दी गयी थी और इसके अनुसार मांगों के संबंध में इसमें समाविष्ट सभी प्रावधान ऐसी राशि या किश्त से संबध्द होंगे.

28. मांग राशि या किश्तों पर ब्याज कब देय होता है

यदि किसी मांग या किश्त के संबंध में देय राशि उसकी अदायगी हेतु नियत दिन या उसके पहले अदा नहीं की जाती है तो जिस शेयर के संबंध में मांग की गयी है या किश्त देय बनी है, उसका उस समय का धारक या आबंटिती मंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित होने वाली राशि पर तथा दर पर उसकी अदायगी हेतु नियत दिन से वास्तविक अदायगी के समय तक ब्याज अदा करेगा, परंतु मंडल अपने विवेकाधिकार से ऐसे ब्याज की अदायगी से पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट दे सकता है.

29. शेयर धारक द्वारा मांग राशियों की गैर-अदायगी

कोई भी शेयर धारक जब तक वह अपने द्वारा अकेले या किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रीति से धारित प्रत्येक शेयर पर उस समय देय और अदायगी योग्य सभी मांग राशियों को लागू या प्रभारित होने वाले ब्याज और व्ययों के साथ अदा नहीं करता है, तब तक कोई लाभांश प्राप्त करने या शेयर धारक के किसी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा.

30. मांग राशि या किश्त की गैर अदायगी के बारे में सूचना

यदि कोई शेयर धारक किसी मांग की पूर्ण राशि या उसके किसी भाग या किश्त या किसी शेयर के संबंध में मूल राशि या ब्याज के रूप में देय किसी राशि को उसकी अदायगी हेतु नियुक्त दिन या उसके पहले अदा करने में विफल होता है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र तदुपरांत किसी भी समय मांग राशि या किश्त या उसके किसी भाग या अन्य राशियों के अदत्त रहते या उसके संबंध में किसी न्याय निर्णय या डिक्री की शर्तों के पूर्णतः या आंशिक रूप से असंतुष्ट रहते ऐसे शेयर धारक या प्रेषण द्वारा शेयर के हकदार (यदि कोई हो) को, अदत्त रहने वाली मांग राशि या किश्त या उसके अंश या अन्य राशियों को किसी प्रोद्भूत ब्याज तथा ऐसी गैर अदायगी के कारण बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रदत्त उठाये गये सभी व्ययों (विधिक या अन्य) के साथ अदा करने की मांग करते हुए सूचना जारी कर सकता है.

31. समपहरण की सूचना

समपहरण की सूचना में सूचना के दिनांक से चौदह दिनों से कम नहीं होने वाला एक ऐसा दिनांक तथा ऐसा/ऐसे स्थान उल्लिखित होंगे, जब और जहां पूर्वोवत मांग राशि या किश्त या उसका भाग या अन्य राशियां तथा ब्याज और व्यय देय होंगे. सूचना में इसका भी उल्लेख होगा कि नियुक्त समय में या उसके पहले तथा स्थान में गैर अदायगी की स्थिति में वह शेयर, जिसके संबंध में मांग की गयी थी या किश्त देय बनी थी, समपहृत हो सकेगा.

32. व्यतिक्रम होने पर शेयरों का समपहरण होगा

यदि पूर्वोक्तानुसार दी गयी किसी सूचना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है तो उसके बाद किसी भी समय कोई शेयर, जिसके संबंध में सूचना दी गयी है, सभी मांगों या किश्तों, ब्याज और व्ययों या उसके संबंध में देय किसी राशि की गैर अदायगी के कारण विनियम 31 के अन्तर्गत दिए गये समपहरण के नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद इस प्रयोजन हेतु बुलाई गई मंडल की बैठक के एक प्रस्ताव के द्वारा समपहृत

होगा. ऐसे समपहरण में समपहृत शेयरों के संबंध में घोषित तथा समपहरण के पहले वास्तविक रूप से अदत्त सभी लाभांश सम्मिलित होंगे.

33. रजिस्टर में समपहरण की प्रविष्टि

जब कोई शेयर विनियम 32 के अधीन समपहृत हुआ है, तब रजिस्टर में समपहरण संबंधी एक प्रविष्टि उसके दिनांक के साथ की जाएगी.

34. समपहृत शेयर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की संपत्ति होंगे तथा उनकी बिक्री हो सकेगी

इस प्रकार समपहृत किसी शेयर को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की संपत्ति माना जाएगा तथा मंडल द्वारा निर्णित होने वाली शर्तों पर तथा रीति से किसी भी व्यक्ति को उसकी बिक्री, पुनराबंटन या अन्यथा निपटान किया जा सकता है.

35. समपहरण को प्रभावशून्य बनाने का अधिकार

मंडल किसी भी समय विनियम 32 के अधीन इस प्रकार समपहृत किसी शेयर की बिक्री, पुनसबंटन या अन्यथा निपटान होने के पहले, अपने द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों पर उसके समपहरण को प्रभावशून्य बना सकता है.

36. शेयर धारक समपहरण के समय बाकी रहने वाली राशि तथा ब्याज अदा करने के लिए बाध्य है

कोई भी शेयर धारक, जिसके शेयर समपहृत हुए हैं, समपहरण के बावजूद ऐसे शेयरों पर या उनके संबंध में समपहरण के समय में बाकी सभी मांगों, किश्तों, ब्याज, व्ययों तथा अन्य राशियों को, उन पर समपहरण के समय से अदागयी तक, मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट होने वाली दर पर, ब्याज के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अदा करने के लिए बाध्य होगा तथा मंडल उनकी पूर्ण या आंशिक अदायगी को प्रवर्तित कर सकता है.

37. आंशिक अदायगी समपहरण को प्रतिबाधित नहीं करेगी

किसी शेयर के संबंध में देय मांगों या अन्य राशियों के संबंध में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हित में कोई न्याय निर्णय या डिक्री या उसके अधीन कोई अदायगी या समाधान या बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा किसी शेयर धारक से किसी शेयर के संबंध में मूल राशि या ब्याज के रूप में समय समय पर देय बनाने वाली राशि के किसी अंश की प्राप्ति, या किसी राशि के संबंध में बैंक द्वारा प्रदत्त कोई अनुग्रह ऐसे शेयरों के इन विनियमों के अधीन समपहरण को प्रतिबाधित नहीं करेगा.

38. शेयर का समपहरण बैंक के विरुध्द सभी दावों को समाप्त करता है

किसी शेयर के समपहरण में, उक्त समपहरण के समय उस शेयर के संबंध में बैंक में सभी हितों तथा उसके विरुध्द सभी दावों और मांगों तथा उक्त शेयर के संबंध में, केवल इन प्रस्तुतियों द्वारा स्पष्टतः अधित्यक्त अधिकारों को छोड़कर, अन्य सभी प्रासंगिक अधिकारों की समाप्ति अंतर्भूत होगी.

39. समपहृत होने के बाद बिक्री, पुन: जारी करने, पुनर्विभाजन या निपटान पर मूल शेयर अकृत और शून्य होंगे

पूर्ववर्ती विनियमों के अधीन किसी बिक्री, पुनः जारी किये जाने या अन्य रीति से निपटान के बाद संबध्द शेयरों के संबंध में मूलतः जारी किया गया / किये गये शेयर (यदि बैंक की मांग पर उसें / उन्हें पहले ही, बैंक को अभ्यर्पित नहीं किया गया है तो) रद्द समझा जाएगा / समझे जाएंगे तथा अकृत और शून्य बनेगा / बनेंगे और प्रभावशून्य होगा / होंगे. मंडल, उक्त शेयरों के संबंध में पात्र व्यक्ति / व्यक्तियों को नया / नये प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकारी होगा.

40. समपहरण संबंधी प्रावधानों की प्रयोज्यता

जहां तक समपहरण का संबंध है, इन विनियमों के प्रावधान किसी शेयर के निर्गम की शर्तों के अनुसार किसी निर्धारित समय में शेयरों के अंकित मूल्य के हिसाब से या प्रीमियम के रूप में देय बनने वाली किसी राशि की गैर अदायगी के मामले में इस प्रकार लागू होंगे, मानों वह राशि विधिवत की गयी मांग के कारण से देय बनी थी.

41. शेयरों पर धारणाधिकार

(i) इन पर बैंक का प्रथम एवं परमोच्च धारणाधिकार होगा.-

(क) प्रत्येक शेयर (जो पूर्णतः प्रदत्त शेयर नहीं है), उसके संबंध में मांग की गयी या किसी निश्चित समय में देय सभी राशियों के लिए (चाहे वे अभी देय बनी हो या नहीं बनी हों),

(ख) एक ही व्यक्ति के नाम में पंजीकृत सभी शेयर (जो पूर्णतः प्रदत्त शेयर नहीं है), संप्रति उसके या उसकी संपदा के द्वारा बैंक को देय सभी राशियों के लिए,

(ग) प्रत्येक व्यक्ति के नाम में (अकेले या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से) पंजीकृत सभी शेयर, और बैंक के प्रति या उसके साथ, अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, उसके ऋणों, देयताओं तथा करारों के लिए, चाहे उनकी अदायगी, समापन या उन्मोचन हेतु अवधि का वास्तविक रूप से निर्णय हुआ हो या नहीं हुआ हो, उनकी बिक्री के आगम, तथा बैंक द्वारा अपने धारणाधिकार पर किसी शेयर में कोई साम्यिक हित मान्य नहीं होगा.

परंतु निदेशक मंडल किसी भी समय किसी शेयर को इस खंड के प्रावधानों से पूर्णतः या आंशिक रूप से मुक्त घोषित कर सकता है.

(ii) यदि किसी शेयर पर बैंक का धारणाधिकार है तो वह उस शेयर पर देय सभी लाभांशों तक व्याप्त होगा.

42. शेयरों की बिक्री द्वारा धारणाधिकार का प्रवर्तन

(i) बैंक ऐसे शेयरों की मंडल द्वारा उचित समझी जाने वाली रीति से बिक्री कर सकता है जिन पर बैंक का धारणाधिकार है :

(क) यदि राशि के संबंध में धारणाधिकार है वह संप्रति देय है, तथा

(ख) जिस राशि के संबंध में धारणाधिकार रहता है उसके संप्रति देय बने अंश की अदायगी का उल्लेख और उसकी मांग करते हुए शेयर के उस समय के पंजीकृत धारक या उसकी मृत्यु या दिवालियापन के कारण से उसके हकदार व्यक्ति को एक लिखित सूचना देने के बाद चौदह दिनों की समाप्ति होने पर.

(ii) मंडल ऐसी किसी बिक्री को कार्यान्वित करने हेतु बेचे गये शेयरों के उनके खरीदार के नाम अंतरण के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है.

43. शेयरों की बिक्री के आगमों का विनियोग

विनियम 42 के अधीन शेयरों की किसी बिक्री की लागतों को काटने के बाद उन शेयरों की ऐसी बिक्री के निवल आगमों का विनियोग जिस ऋण या देयता के संबंध में धारणाधिकार है तथा जहां तक वह संप्रति देय बनती है, उसकी तुष्टि में या उसके प्रति किया जाएगा और यदि कोई अवशेष हो तो उसे शेयर धारकों या इस प्रकार बेचे गये शेयरों के प्रेषण के द्वारा हकदार बनने वाले किसी व्यक्ति को अदा किया जाएगा.

44. समपहरण का प्रमाणपत्र

इस उद्देश्य के लिए विधिवत प्राधिकृत बैंक के किसी निदेशक या अन्य किसी अधिकारी जो वेतनमान श्रेणी II से नीचे का न हो या कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का एक प्रमाणपत्र, कि अमुक शेयर के संबंध में मांग की गयी थी तथा इस प्रयोजन हेतु मंडल के एक प्रस्ताव द्वारा उक्त शेयर का समपहरण किया गया था, ऐसे शेयरों के हकदार सभी व्यक्तियों के विरुध्द उनमें उल्लिखित तथ्य का निर्णायक प्रमाण होगा.

45. समपहृत शेयर के खरीदार या आबंटिती का स्वत्वाधिकार

यदि शेयर के लिए उसकी बिक्री, पुनराबंटन या अन्य निपटान पर प्रदत्त कोई प्रतिलाभ है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसे प्राप्त कर सकता है तथा वह व्यक्ति, जिसे ऐसे शेयर को बेचा जाता है, आबंटित होता है या निपटान किया जाता है, उसे शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और वह व्यक्ति किसी प्रतिलाभ के होने पर उसके विनियोग की व्यवस्था करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा शेयर पर उसका स्वत्वाधिकार उक्त शेयर के समपहरण, बिक्री, पुनराबंटन या अन्य निपटान से संबंधित कार्रवाईयों में किसी अनियमितता या अवैधता के कारण प्रभावित नहीं होगा और बिक्री द्वारा असंतुष्ट किसी व्यक्ति का उपचार केवल हर्जाने में और एकांतिक रूप से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के विरुध्द होगा.

46. शेयर धारकों को किसी सूचना या प्रलेख की तामील

(i) बैंक किसी शेयर धारक को किसी सूचना या प्रलेख की तामील उसके पंजीकृत पते पर या भारत में उसका कोई पंजीकृत पता नहीं होने पर स्वयं को सूचना देने हेतु उसके द्वारा दिये गये भारत के भीतर के पते पर (यदि कोई हो),वैयक्तिक रूप से या सामान्य डाक से करेगा.

(ii) जहां कोई प्रलेख या सूचना डाक द्वारा भेजी जाती है, ऐसे प्रलेख या सूचना की तामील सम्यक रूप से पता लिखकर, पूर्व अदायगी करके तथा उक्त प्रलेख या सूचना से अंतर्विष्ट पत्र को डाक में छोड़कर पूरी की गयी मानी जाएगी.

परंतु जहां किसी शेयर धारक ने पहले ही बैंक को सूचना दी है कि उसको प्रलेख डाक प्रमाणपत्र के अधीन या पावती सहित या उसके बिना पंजीकृत डाक से भेजे जाने चाहिए, तथा ऐसा करने में होने वाले व्ययों को अदा करने के लिए पर्याप्त राशि बैंक में जमा की है, शेयर धारक द्वारा सूचित रीति से नहीं भेजे जाने पर प्रलेख या सूचना की तामील पूरी की गयी नहीं मानी जाएगी. और किसी बैठक की सूचना के मामले में ऐसी तामील उससे अंतर्विष्ट पत्र को डाक में छोड़ने के बाद अड़तालीस घंटों की समाप्ति पर तथा किसी अन्य मामले में डाक की सामान्य अवधि के दौरान पत्र को वितरित किये जाने के समय पूरी की गयी मानी जाएगी.

(iii) भारत में व्यापक रूप से प्रसारित किसी समाचार पत्र में विज्ञापित कोई सूचना या प्रलेख ऐसे प्रत्येक शेयर धारक को जिसका भारत में कोई पंजीकृत पता नहीं है तथा जिसने स्वयं को सूचना देने हेतु भारत के भीतर के भीतर का एक पता बैंक को नहीं भेजा है, उस विज्ञापन के प्रकाशन के दिन विधिवत वितरित माना जाएगा.

(iv) शेयर के संयुक्त धारकों को कोई सूचना या प्रलेख बैंक द्वारा उस शेयर के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित संयुक्त धारक को भेजकर, वितरित किया जा सकता है और इस प्रकार दी गयी सूचना उक्त शेयर के सभी धारकों के लिए पर्याप्त सूचना होगी.

(v) किसी शेयर धारक की मृत्यु पर या उसके दिवालिया बनने पर बैंक द्वारा कोई सूचना या प्रलेख किसी शेयर के हकदार व्यक्तियों को, उनके नाम में मृत व्यक्तियों के प्रतिनिधियों या दिवालियों के अनुदेशितियों की उपाधि या इसी प्रकार के किसी अन्य नाम में, इस प्रकार हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा आपूरित भारत में स्थित एक पते (यदि कोई हो) पर पूर्व प्रदत्त पत्र में डाक के जरिए भेजकर या ऐसे एक पते की आपूर्ति की जाने तक, मृत्यु या दिवालियापन के घटित नहीं होने की स्थिति में जिस किसी रीति से उसका वितरण हो सकता था उस रीति से प्रलेख को तामील करके, वितरित किया जा सकता है.

(vi) बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा दी जाने वाली किसी सूचना पर हस्ताक्षर हस्तलिखित या मुद्रित हो सकते हैं.

अध्याय 3

निक्षेपागार में धारित बैंक की प्रतिभूतियां

47. निक्षेपागार और बैंक के बीच करार

बैंक, निक्षेपागार अधिनियम 1996 की धारा 2(इ) में परिभाषित एक या अधिक निक्षेपागारों के साथ, बैंक द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों के संबंध में उनकी सेवाओं को प्राप्त करने हेतु एक करार में सम्मिलित हो सकता है.

अध्याय 4

शेयर धारकों की बैठकें

56. साधारण सभा की वार्षिक बैठक बुलाने की सूचना

(i) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या वेतनमान vii या उससे उच्च श्रेणी के किसी प्राधिकृत अधिकारी या कंपनी सचिव द्वार हस्ताक्षरित, शेयर धारकों की साधारणसभा की वार्षिक बैठक बुलाने की सूचना, बैठक से कम से कम पूरे इक्कीस दिनों के पहले,भारत में विस्तृत प्रसार रखनेवाले कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जाएगी.

(ii) ऐसी प्रत्येक सूचना में ऐसी बैठक के समय,दिनांक और स्थान तथा साथ ही उस बैठक में व्यवहृत होने वाले कार्य-व्यापार का उल्लेख होगा.

(iii) ऐसी बैठक का समय और दिनांक मंडल द्वारा विनिर्दिष्टानुसार होगा.बैठक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय के स्थान में चलायी जाएगी.

57. साधारण सभा की असाधारण बैठक

(i) ऐसा करने के लिए मंडल द्वारा निदेशित होने पर,या केन्द्रीय सरकार से या सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकारों का कम से कम दस प्रतिशत धारण करनेवाले अन्य शेयरधारकों से ऐसी बैठक के लिए मांग प्राप्त होने पर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, या उसकी अनुपस्थिति में बैंक का कोई निदेशक, शेयर धारकों की साधारण सभा की एक असाधारण बैठक बुला सकता है.

(ii) उप विनियम(i) में उल्लिखित मांग में इस उद्देश्य का उल्लेख होगा जिसके लिए साधारण सभा की असाधारण सभा बुलाने की अपेक्षा की जाती है,परंतु उसमें समान रूप वाले ऐसे अनेक प्रलेख अंतर्विष्ट हो सकते हैं ,जिनमें से प्रत्येक एक या अधिक मागकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित है.

(iii) जहां दो या अधिक व्यक्ति किसी शेयर को संयुक्त रूप से धारण करते हैं,उनमें से एक या कुछ के द्वारा हस्ताक्षरित होने पर,बैठक बुलाने की मांग या सूचना के, इस विनियम के उद्देश्य हेतु, इस प्रकार अभिन्न शक्ति और प्रभाव होंगे,मानो वह उनमें से सभी द्वारा हस्ताक्षरित है.

(iv) साधारण सभा की असाधारण बैठक के समय, दिनांक और स्थान मंडल द्वारा निश्चित होंगे. बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार या अन्य शेयर-धारक की मांग पर बुलायी जानेवाली साधारण सभा की असाधारण बैठक मांग की प्राप्ति से कम से कम 45 दिनों के भीतर बुलायी जाए.

(v) यदि, मामले के अनुसार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, उप-विनियम (iv) के परंतुक में निर्धारित अवधि के भीतर, उप विनियम(i) द्वारा अपेक्षितानुसार बैठक नहीं बुलाता है तो वह बैठक मांग के दिनांक से तीन माहों के भीतर स्वयं मांगकर्ताओं द्वारा बुलायी जा सकती है.

बशर्ते कि, इस उप-विनियम में उल्लिखित कोई बात उपरोक्त तीन माहों की अवधि की समाप्ति के पहले विधिवत् बुलायी गयी बैठक को उस अवधि के बाद किसी दिन के लिए स्थगित किये जाने से प्रतिबंधित करनेवाली नहीं मानी जाए.

(vi) मांग-कर्ताओं द्वारा उप-विनियम (v) के अधीन बुलायी गयी बैठक, जहां तक हो सके, लगभग उसी रीति से बुलायी जाएगी, जैसे कि मंडल द्वारा बुलायी जानेवाली साधारण सभा की अन्य बैठकें बुलायी जाती हैं.

58. **साधारण सभा की बैठक के लिए कोरम**

(i) कार्य-व्यापार के आरंभ में ऐसी बैठक में उपस्थित होकर मतदान करने का अधिकार रखनेवाले कम से कम पांच शेयर-धारकों का कोरम नहीं होने पर शेयर-धारकों की किसी भी बैठक में कोई भी व्यवहार नहीं चलाया जाएगा.

(ii) यदि किसी बैठक को चलाने हेतु नियुक्त समय के बाद आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं है तो,केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयर धारकों की मांग द्वारा बुलायी गयी बैठक में, वह बैठक विघटित होगी.

(iii) किसी अन्य मामले में, बैठक चलाने के लिए नियुक्त समय के बाद आधे घंटे के भीतर कोरम के उपस्थित नहीं होने पर वह बैठक, उसी समय और स्थान में अगले सप्ताह के उसी दिवस के लिए या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होनेवाले किसी अन्य दिवस तथा समय और स्थान के लिए स्थगित की जाएगी। यदि स्थगित हुई बैठक में उस बैठक को चलाने हेतु नियुक्त समय से आधे घंटे के भीतर कोरम की उपस्थिति नहीं है तो ऐसी स्थगित बैठक में वैयक्तिक रूप से या प्रॉक्सी के रूप में या विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित शेयर-धारक कोरम बनेंगे तथा उस कार्यव्यापार को चला सकेंगे जिसके लिए वह बैठक बुलायी गयी थी।

बशर्ते कि, साधारण सभा की कोई वार्षिक बैठक उस दिनांक के बाद के किसी दिनांक के लिए स्थगित नहीं होगी, जिसके भीतर अधिनियम की धारा 10ए(1) के अधीन साधारण सभा की ऐसी वार्षिक बैठक चलायी जाएगी तथा यदि अगले सप्ताह के उसी दिवस के लिए बैठक के स्थगन का यह परिणाम हो तो साधारण सभा की वार्षिक बैठक स्थगित नहीं की जाएगी, परंतु कोरम के उपस्थित होने पर बैठक का व्यवहार बैठक के लिए नियुक्त समय से एक घंटे के भीतर, या उस समय से एक घंटे के भीतर, या उस समय से एक घंटे की समाप्ति पर तुरंत आरंभ किया जाएगा तथा ऐसे समय में वैयक्तिक रूप से या प्रॉक्सी के रूप में या विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित शेयर धारक कोरम का निर्माण करेंगे.

59. **साधारण सभा की बैठक का अध्यक्ष**

(i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , या उसकी अनुपस्थित में कार्यपालक निदेशक, या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सामान्यत: या किसी विशिष्ट बैठक के संबंध में प्राधिकृत होनेवाले निदेशकों में से एक या उसकी अनुपस्थिति में इस उद्देश्य हेतु कार्यपालक निदेशक बैठक का अध्यक्ष होगा तथा यदि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या इस उद्देश्य हेतु कोई अन्य निदेशक उपस्थित नहीं है तो उपस्थित अन्य किसी निदेशक को उक्त बैठक के लिए बैठक अध्यक्ष के रूप में चुन सकती है.

(ii) साधारण सभा की बैठक का अध्यक्ष साधारण सभा की बैठकों की कार्य-विधि का नियंत्रण करेगा तथा विशेषत: उसे शेयर धारकों के बैठक को संबोधित करने का क्रम निर्धारित करने,व्याख्यानों के लिए समय-सीमा निश्चित करने, जब अपने मतानुसार किसी विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है तब समाप्ति का निर्देशन करने तथा बैठक को स्थगित करने का अधिकार होगा.

60. साधारण सभा की बैठक में भाग लेने के हकदार व्यक्ति

(i) बैंक के सभी निदेशक और सभी शेयर-धारक, उप -विनियम (ii) के अधीन, साधारण सभा की किसी बैठक में भाग लेने के हकदार होंगे.

(ii) साधारण सभा की किसी बैठक में उपस्थित होनेवाले किसी शेयर धारक (जो केन्द्रीय सरकार नहीं है) या किसी निदेशक को पहचान के उद्देश्य हेतु तथा उसके मताधिकारों को निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट एक फार्म में हस्ताक्षर करके उसे बैंक को सुपुर्द करने की आवश्यकता होगी, जिसमें निम्नलिखित विवरण अंतर्विष्ट होंगे :

(क) उसका पुरा नाम और पंजीकृत पता,

(ख) उसके शेयरों की प्रभेदक संख्या

(ग) क्या वह मतदान करने का हकदार है ? तथा मतों की संख्या जिसके लिए वह वैयक्तिक रूप से या प्रॉक्सी के रूप में या विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हकदार है.

61. साधारण सभा की बैठकों में मतदान

(i) साधारण सभा की किसी भी बैठक में, बैठक के मत के लिए रखा कोई प्रस्ताव, मतगणना की मांग नहीं की जाने पर, हस्त-प्रदर्शन के द्वारा निर्णित होगा.

(ii) अधिनियम में अन्यथा व्यवस्थितानुसार को छोड़कर साधारण सभा की किसी बैठक को प्रस्तुत प्रत्येक विषय बहुमत द्वारा निर्णित होगा.

(iii) यदि उप-विनियम (i) के अधीन मतगणना की मांग नहीं की जाती है तो बैठक के अध्यक्ष की यह घोषणा कि अमुक प्रस्ताव हस्त-प्रदर्शन के आधार पर सर्वानुमत से या विशिष्ट बहुमत से स्वीकृत हुआ है या अस्वीकृत हुआ है तथा इस परिणाम के लिए बहियों में कार्यवाही विवरणों से अंतर्विष्ट एक प्रविष्टि, ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में या विरुद्ध डाले गये मतों की संख्या या अनुपात के प्रमाण के बिना इस तथ्य का निर्णायक साक्ष्य होगी.

(iv) किसी प्रस्ताव पर हस्त-प्रदर्शन के आधार पर मतदान के परिणाम की घोषणा के पहले या बाद की बैठक के अध्यक्ष द्वारा स्वयं अपने प्रस्ताव पर मतगणना की जाने का आदेश दिया जा सकता है तथा उसके द्वारा उक्त प्रस्ताव के संबंध में,वैयक्तिक रूप से या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित और उस प्रस्ताव पर कुल मताधिकारों के पांचवे भाग से कम न होनेवाले मताधिकारों को प्रदान करनेवाले शेयरों को धारण करनेवाले किसी शेयर-धारक या शेयर-धारकों द्वारा इस उद्देश्य हेतु की गयी मांग पर ऐसी मतगणना की जाने का आदेश दिया जाएगा.

(v) मांग करनेवाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतगणना की मांग किसी भी समय वापस ली जा सकती है.

(vi) स्थगन या बैठक के अध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न पर मांगी गयी मतगणना तुरंत ली जाएगी.

(vii) किसी अन्य प्रश्न पर मांगी गयी मतगणना बैठक के अध्यक्ष द्वारा निदेशित होनेवाले एक ऐसे समय में ली जाएगी जो मांग करने के समय से अडतालीस घंटों के बाद नहीं होगा.

(viii) जहां तक किसी व्यक्ति की मत देने की अर्हता का संबंध है, तथा साथ ही मतगणना के मामले में, जहां तक उन मतों की संख्या का संबंध है जिनके प्रयोग के लिए कोई व्यक्ति सक्षम है, बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

61क. **चुनाव के समय जांच**

(i) जब चुनाव करवाया जाना हो तब बैठक का अध्यक्ष वोटों की जांच हेतु दो जांचकर्ता नियुक्त करेगा जो अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपेंगे.

(ii) चुनाव का परिणाम घोषित होने से पूर्व जांचकर्ता को हटाने और इस कारण तथा अन्य कारणों से पैदा हुई रिक्तियों को भरने का अधिकार बैठक के अध्यक्ष को होगा.

(iii) इस विनियम के अन्तर्गत तैनात दो जांचकर्ताओं में से एक हमेशा उपस्थित शेयरधारकों में से होगा (किन्तु बैंक का कर्मचारी या अधिकारी नहीं होगा) बशर्ते कि ऐसा शेयर धारक उपलब्ध व जांचकर्ता बनने का इच्छुक हो.

61ख. **चुनाव लेने व परिणाम घोषणा की पध्दति**

(i) बैठक के अध्यक्ष के पास चुनाव सम्पन्न करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के पूर्ण अधिकार होंगे.

(ii) चुनाव परिणाम, जिस प्रस्ताव पर चुनाव लिए गये उस पर आयोजित बैठक का निर्णय माना जायेगा.

62. **साधारण सभा की बैठकों का कार्य-विवरण**

(i) बैंक ऑफ महाराष्ट्र सभी कार्यवाहियों के कार्य-विवरण को इस उद्देश्य हेतु रखी गयी बहियों में दर्ज करने की व्यवस्था करेगा.

(ii) जिस बैठक में कार्यवाहियां चलायी गयी थी उसके अध्यक्ष द्वारा,या अगली उत्तरवर्ती बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होने का अर्थ देनेवाले ऐसे कोई कार्य-विवरण उन कार्यवाहियों के लिए साक्ष्य होंगे.

(iii) साधारण सभा की प्रत्येक बैठक,जिसकी कार्यवाहियों के संबंध में इस प्रकार कार्य-विवरण तैयार किये गये हैं,इसके प्रतिकूल प्रमाणित किये जानेतक,विधिवत् बुलायी तथा चलायी गयी और उसमें चलायी गयी सभी कार्यवाहियां विधिवत् चलायी गयी,मानी जाएंगी.

(iv) किसी भी शेयर धारक की विशेष बैठक के कार्यवृत्त पुस्तिका की जांच करने या विशिष्ट बैठक के कार्यवृत्त मांगने के लिखित अनुरोध पर बैंक यथाप्रसंग ऐसी जांच करने और कार्यवृत्त की प्रति उपलब्ध करने की अनुमति देगा.

अध्याय 5
निदेशकों का निर्वाचन

63. साधारण सभा की बैठक में निर्वाचित होनेवाले सदस्य

(i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन ,केन्द्रीय सरकार को छोड़कर ,रजिस्टर में दर्ज शेयर धारकों द्वारा स्वयं अपने में से कोई , बैंक ऑफ महाराष्ट्र की साधारण सभा की बैठक में निदेशक के रूप में निर्वाचित होगा.

(ii) जहां साधारण सभा की बैठक में किसी निदेशक का निर्वाचन किया जानेवाला है, उसकी सूचना बैठक बुलाने की सूचना में सम्मिलित होगी. ऐसी प्रत्येक सूचना में निर्वाचित होनेवाले निदेशकों की संख्या तथा, जिन रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन होने वाला है, उनका विवरण विनिर्दिष्ट होंगे.

64. शेयर-धारकों की सूची

(i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप विनियम (i) के अधीन किसी निदेशक के निर्वाचन के उद्देश्य हेतु, रजिस्टर में दर्ज ऐसे शेयर-धारकों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिनके द्वारा उस निदेशक का निर्वाचन किया जानेवाला है.

(ii) इस सूची में शेयर-धारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और सूचक संख्याएं,शेयरों को पंजीकृत करने के दिनांकों तथा जिस बैठक में निर्वाचन होगा उसके लिए निर्धारित दिनांक को जिन मतों के लिए वे हकदार होंगे उनकी संख्या के साथ, अतंर्विष्ट होंगी और आवेदन-पत्र भेजने पर इस सूची की प्रतियां,बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम तीन सप्ताहों के पहले, मंडल या प्रबंधक समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर, प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होंगी.

65. निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों का नामांकन

(i) एक निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी का कोई नामांकन निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने तक वैध नहीं होगा.

(क) वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 100 शेयरों को धारण करनेवाला एक शेयर-धारक है.

(ख) वह नामांकन की प्राप्ति के अंतिम दिनांक को अधिनियम के अधीन या योजना के अंतर्गत एक निदेशक बनने के लिए अपात्र नहीं है.

(ग) उसने अपने द्वारा अकेले या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से धारित शेयरों के संबंध में सभी मांग राशियों को मांग की अदायगी हेतु निर्धारित आंतेम दिन को या उसके पहले अदा किया है,

(घ) नामांकन अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने के लिए पात्र कम से कम एक सौ शेयर धारकों या उनके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत अटार्नी द्वारा लिखित रूप से हस्ताक्षरित है,परंतु ऐसे शेयर धारक का,जो एक कंपनी है, कोई नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के एक प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है तथा जहां ऐसा किया जाता है, उस प्रस्ताव की जिस बैठक में उसे पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा वास्तविक प्रति के रूप में प्रमाणीकृत एक प्रति बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति ऐसी कंपनी की ओर से एक नामांकन मानी जाएगी.

(ड.) नामांकन के साथ, प्रत्याशी द्वारा किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, प्रत्याभूतियों के रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी, या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी

अधिकारी, के सम्मुख हस्ताक्षरित एक घोषणा,कि वह नामांकन को स्वीकार करता है तथा निर्वाचन के लिए खड़ा होना चाहता है और वह अधिनियम या योजना या इन विनियमों के अधीन एक निदेशक बनने से अपात्र नहीं बनाया गया है, संलग्न है या उसमें सम्मिलित है.

(ii) कोई भी नामांकन यदि वह सभी संबध्द एवं सभी प्रकार से पूर्ण प्रलेखों के साथ प्राप्त नहीं होता है तथा बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम चौदह दिनों के पहले किसी कार्य दिवस को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो वैध नहीं होगा.

66. नामांकन पत्रों की संवीक्षा

(i) नामांकन पत्रों की संवीक्षा नामांकनों की प्राप्ति हेतु निर्धारित दिनांक के प्रथम अनुवर्ती कार्यदिवस को की जाएगी तथा यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाात है तो उसका तिरस्कार, उसके लिए कारण रिकार्ड करके, किया जाएगा. यदि निर्वाचन द्वारा भर्ती किए जानेवाले किसी विशिष्ट रिक्त स्थान के लिए केवल एक ही नामांकन है तो इस प्रकार नामांकन प्रत्याशी को तुरंत निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम व पता इस प्रकार निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा. ऐसी स्थिति में निर्वाचन के उद्देश्य हेतु बुलायी गयी बैठक में कोई निर्वाचन नहीं होगा और यदि वह बैठक पूर्वोक्त निर्वाचन के एक मात्र उद्देश्य हेतु बुलायी गयी थी तो वह रद्द होगी.

(ii) निर्वाचन के चलाये जाने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन निर्वाचित किये जानेवाले निदेशकों की संख्या से अधिक हैं, तो सबसे अधिक मत प्राप्त करनेवाला प्रत्याशी निर्वाचित किया गया माना जाएगा.

(iii) किसी वर्तमान रिक्त स्थान को भरने हेतु निर्वाचित किसी निदेशक को उस दिनांक के अनुवर्ती दिनांक से पद संभालनेवाला माना जाएगा, जिस दिनांक को वह निर्वाचित होता है या निर्वाचित माना जाता है.

67. निर्वाचन संबंधी विवाद

(i) यदि निर्वाचित माने गये या घोषित किसी व्यक्ति की अर्हता या अनर्हता के संबंध में या किसी निदेशक के निर्वाचन की वैधता के संबंध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है,तो कोई हितबद्ध व्यक्ति ,जो एक प्रत्याशी या ऐसे निर्वाचन में मतदान करने का हकदार शेयर-धारक है, उसकी सूचना ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के दिनांक से सात दिनों के भीतर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित रूप से दे सकता है तथा उक्त सूचना में उन आधारों का पूरा विवरण देगा, जिन पर वह निर्वाचन की वैधता के बारे में संदेह या विवाद करता है.

(ii) उप विनियम (i) के अधीन किसी सूचना के प्राप्त होने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, ऐसे संदेह या विवाद को तुरंत एक समिति के निर्णय हेतु विचारार्थ भेजेगा, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ,तथा अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) और खंड (सी) के अधीन मनोनीत निदेशकों में से कोई दो निदेशक सम्मिलित होंगे.

(iii) उप विनियम (ii) में उल्लिखित समिति अपने द्वारा आवश्यक मानी जानेवाली जांच करेगी तथा यदि वह यह पाती है कि वह निर्वाचन एक वैध निर्वाचन था, तो वह उस निर्वाचन के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या यदि वह पाती है कि वह निर्वाचन एक वैध निर्वाचन नहीं था तो वह जांच के आरंभ से 30 दिनों के भीतर, उन परिस्थितियों में समिति को न्यायसंगत लगनेवाला आदेश करेगी या निदेश देगी, जिसमें एक नये निर्वाचन को चलाना भी सम्मिलित होगा.

(iv) इस उप-विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति के कोई आदेश और निदेश निर्णायक होंगे

अध्याय 5

शेयर धारकों के मताधिकार

68. मताधिकारों का निर्धारण

(i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अधीन, ऐसे प्रत्येक शेयर धारक को, जो साधारण सभा की किसी बैठक के दिनांक से पहले रजिस्टर के बंद किये जाने के दिनांक को पंजीकृत रहता है, ऐसी बैठक में हस्तदर्शन के द्वारा एक मत प्राप्त होगा तथा मतगणना के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत प्राप्त होगा.

(ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में अंतर्विष्ट प्रावधानों की अधीन, पूर्वोक्तानुसार मतदान करने के हकदार ऐसे प्रत्येक शेयर धारक को, जो एक कंपनी नहीं है और वैयक्तिक रूप से या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होता है, या जो एक कंपनी है और विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होता है, हस्तप्रदर्शन के द्वारा एक मत और मतगणना के मामले में, इसमें ऊपर उप-विनियम (i) में उल्लेखितानुसार, उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत प्राप्त होगा.

व्याख्या - इस अध्याय के लिए, "कंपनी" का अर्थ कोई निगमित निकाय है.

(iii) बैंक के ऐसे शेयर धारकों को, जो साधारण सभा की किसी बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के हकदार हैं, स्वयं अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह शेयर धारक हो या नहीं हो) अपने प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होने तथा मतदान करने हेतु नियुक्त करने का अधिकार होगा. परंतु इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा.

69. विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

(i) कोई शेयर धारक जो केन्द्रीय सरकार या एक कंपनी है, एक प्रस्ताव के द्वारा शेयर धारकों की साधारण सभा की किसी बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु, मामले के अनुसार, अपने अधिकारियों में से किसी को या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है तथा इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में "विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में उल्लिखित), केन्द्रीय सरकार या उस कंपनी की ओर से, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, इन्हीं अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग करने के लिए हकदार होगा, मानों वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक वैयक्तिक शेयर धारक है. इस प्रकार प्रदत्त प्राधिकरण वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक, केंद्रीय सरकार / कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है.

(ii) यदि किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की, जिस बैठक में वह प्रस्ताव पारित किया था उसके अध्यक्ष द्वारा वास्तविक प्रति के रूप में प्रमाणीकृत, एक प्रति बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम चार दिनों के पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं की गयी है तो वह व्यक्ति बैंक के शेयर धारकों की किसी बैठक में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित नहीं होगा या मतदान नहीं करेगा.

70. प्रॉक्सी

(i) यदि प्रॉक्सी संबंधी कोई लिखत, किसी एकल शेयर धारक के मामले में, उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हुई है, या संयुक्त धारकों के मामले में, रजिस्टर में नामित प्रथम शेयर धारक या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत उसके अटार्नी के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हुई है, या निगमित निकाय के मामले में, लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत उसके अधिकारी या अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हुई है, तो वह लिखत वैध नहीं होगी.

परंतु यदि कोई शेयर धारक किसी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है तो प्रॉक्सी पर उसके निशान के लगाये जाने पर तथा किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित सरकारी अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित होने पर प्रॉक्सी संबंधी वह लिखत उसके द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होगी.

(ii) यदि किसी प्रॉक्सी में विधिवत स्टाम्प नहीं लगाया गया है तथा उसकी एक प्रति, जिस अटार्नी अधिकार पत्र या किसी अन्य अधिकार पत्र के अधीन वह हस्ताक्षरित है, उसके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में पहले ही जमा नहीं किये जाने पर तथा पंजीकृत नहीं होने पर ऐसे अटार्नी अधिकार पत्र या अन्य प्राधिकार पत्र, या उस अटार्नी अधिकार पत्र या अन्य प्राधिकार पत्र की किसी नोटरी पब्लिक या किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा वास्तविक प्रति के रूप में प्रमाणीकृत एक प्रति के साथ, बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम चार दिनों के पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं की गई है तो वह प्रॉक्सी वैध नहीं होगा.

(iii) प्रॉक्सी संबंधी कोई लिखत फार्म "बी" में नहीं होने पर वैध नहीं होगी.

(iv) बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जमा की गयी प्रॉक्सी संबंधी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी.

(v) वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त प्रॉक्सी संबंधी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्मों को अमल में नहीं लाया जाएगा.

(vi) इस विनियम के अधीन प्रॉक्सी संबंधी लिखत को प्रदान करने वाला ऐसी लिखत से संबंधित बैठक में वैयक्तिक रूप से उपस्थित हो कर मतदान करने का हकदार नहीं होगा.

(vii) ऐसा कोई व्यक्ति विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी या कर्मचारी है.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
फार्म "ए"

शेयर अंतरण फार्म

(विनियम 17 का उप विनियम (i) देखें)

अंतरणकर्ता अभिहित अंतरिती अभिहित को नीचे उल्लिखित प्रतिफल हेतु, नीचे विनिर्दिष्ट शेयरों को, जिन शर्तों पर उक्त शेयर अंतरणकर्ता (ओं) द्वारा धारित हैं उनके अधीन, एतदद्वारा अंतरित करता है / करते हैं तथा अंतरिती उक्त शेयरों को पूर्वोक्त शर्तों के अधीन स्वीकार करने और धारण करने के लिए एतदद्वारा अपनी सहमति व्यक्त करता है / करते हैं.

कंपनी का पूरा नाम					यदि किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में व्यवहृत होता है, तो उसका नाम	
ईक्विटी शेयरों का विवरण				प्रतिफल (अंकों में)	प्रतिफल (शब्दों में)	
शेयरों की संख्या (अंकों में)		शेयरों की संख्या (शब्दों में)				
प्रभेदक संख्याएं	से					
	तक					
अनुरूपी प्रमाणपत्र संख्या						

अंतरणकर्ता (ओं) / विक्रेता (ओं) का विवरण		पंजीकृत फोलिओ संख्या	हस्ताक्षर
पूरा (रे) नाम	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
साक्ष्यांकन एतदद्वारा मैं इसमें उल्लिखित अंतरणकर्ता (ओं) के हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता / करती हूं. हस्ताक्षर नाम पता / मुहर कृपया अनुदेशो के लिए पिछे देखें			साक्षी के हस्ताक्षर साक्षी का नाम व पता

अंतरिती (अंतरितियों) / खरीदार (रों) का विवरण			हस्ताक्षर
पूरा (रे) नाम	1		1.
	2		2
	3		3

	पेशा	पता	पिता / पति का नाम
1			
2			
3			

यदि नामों के उसी अनुक्रम में अंतरिती (अंतरितियों) का कोई वर्तमान फोलियो हो तो उसका उल्लेख		चिपकाये गये स्टाम्पों का मूल्य	रु.

आज दो हजार के के दिवस को	स्थान	

केवल कार्यालय उपयोग के लिए	फोलियो सं.	कंपनी कूट
द्वारा जांच की गयी	अंतरिती (तियों) के नमूना हस्ताक्षर	1.
द्वारा हस्ताक्षरों का मिलान किया गया		2.
रजिस्टर अंतरण सं. में प्रविष्ट किया गया		3.
अनुमोदन का दिनांक		

साक्ष्यांकन हेतु अनुदेश:

साक्ष्यांकन, जहां वह अपेक्षित है (अंगूठे के निशान, चिन्ह, हस्ताक्षरों में भिन्नता आदि), किसी मॅजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या विशेष कार्यकारी मॅजिस्ट्रेट या सरकारी पदधारी ऐसे प्राधिकारी, जो अपने पद की मुहर का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है, या किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार के किसी ऐसे सदस्य, जिसके जरिये शेयरों को प्रस्तुत किया जाता है, या अंतरणकर्ता के बैंक के प्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए.

टिप्पणी : नाम अधिमानतः एक सीधी रेखा में रबर की मुहर से अंकित होने चाहिए. कालानुक्रमिकता का पालन किया जाना चाहिए. जब समाहरण सदस्य बैंक द्वारा सुपुर्दगी की जाती है, दलाल की समाहरण संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है.

सुपुर्द करने वाले दलाल का नाम और क्लिअरिंग नंबर	दिनांक	अटार्नी अधिकार, वसीयत, मृत्यु प्रमाणपत्र, प्रशासन पत्र
		कंपनी में पंजीकृत सं. दिनांक
		दलाल, बैंक, कंपनी या शेयर बाजार समाहरणगृह के हस्ताक्षर (आद्याक्षर नहीं)
		# इसके द्वारा जमा किया गया पूरा पता :
		शेयर प्रमाणपत्र इन्हें लौटाना है (जिसको शेयर प्रमाणपत्र लौटाना अपेक्षित है उसका नाम व पता लिखे)
		शेयर अंतरण स्टाम्प

अंतरिती के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भरा जाने वाला

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

फार्म बी

प्रॉक्सी का फार्म

(विनियम 70 का उप नियम (iii) देखें)

फोलिओ सं._____

(शेयर धारक द्वारा भरा जाने वाला)

मैं / हम, _____ राज्य के _____ जिले का / के निवासी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक/कों की हेसियत से_____ दिनांक को चलायी जाने वाली बैंक के शेयर धारकों के बैठक में तथा कोई स्थगन में , मेरे / हमारे लिए तथा मेरी / हमारी ओर से मतदान करने हेतु अपने प्रॉक्सी के रूप में _____ राज्य के _____ जिले के निवासी श्री _____ को, या उनकी असमर्थता की स्थिति में, _____ राज्य के _____ जिले के निवासी श्री _____ को एतदद्वारा नियुक्त करता हूं / करते हैं.

आज, वर्ष 200 ____ के _____ दिनांक को हस्ताक्षरित.

नाम :

पता :

आवश्यक रसीदी स्टाम्प चिपकाएं

हस्ताक्षर

ह./- अपठनीय
(महाप्रबन्धक)
[विज्ञापन III/IV/318/04-असाधारण]

टिप्पणी-ये नीचे दिए गए विवरण के अनुसार भारत सरकार के गजट में प्रकाशित मूल विनियमो में संशोधन हैं

अनुक्रमांक	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक
1	51(भाग iii सेक्शन 4)	16 दिसंबर,2000

BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office)

NOTIFICATION

Pune, the 2nd July, 2004

AX1/SHARES/1201/2004-05.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Maharashtra after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby adopts the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004.

CHAPTER – I

INTRODUCTORY

1. **Short title and commencement -**

(i) These regulations may be called the **Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004.**

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions – In these regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context or meaning thereof -

(a) "**Act**" means the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

(b) "**Bank**" means Bank of Maharashtra constituted under Section 3 of the Act'

(c) "**Board**" means the Board of Directors constituted under Section 9 of the Act;

(d) "**Chairman**" means the Chairman of the Board'

(e) "**Committee**" means a Committee constituted under regulation "2A"

(f) "**Executive Director**" means the whole time Director, not being the Managing Director;

(g) "**General Manager**" means General Manager of the Bank;

(h) "**Management Committee**" means a Committee constituted under Clause 13 of the Scheme;

(i) "**Managing Director**" means Managing Director of the Bank;

(j) "**Register**" means the register of Shareholders kept in one or more books of the Bank and includes the register of Shareholders kept in computer floppies or diskettes under sub-section (2G) of Section 3 of the Act; and register of beneficial owners maintained by and depository under section 11 of the Depository Act 1996 (22 of 1996);

(k) "**Registrar**" means the person appointed by the Bank for –

(i) Collecting applications from investors in respect of an issue,

(ii) Keeping a proper record of applications and monies received from investors or paid to the seller of the securities,

(iii) Assisting the Bank in –

(a) Determining the basis of allotment of securities in consultation with the stock exchange,

(b) Finalising the list of persons entitled to allotment of securities,

(c) Processing and despatching allotment letters, refund orders or certificates and other related documents in respect of the issue, and

(iv) Such other function as assigned from time to time by the Bank,

(l) "**Scheme**" means the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

(m) "**Share**" means share in the Share Capital of the Bank'

(n) "**Share transfer agent**" includes –

(i) any person, who on behalf of the Bank maintains the records of holders of securities issued by the Bank and deals with all matters connected with the transfer and redemption of its securities, or

(ii) a department or division (by whatever name called) of the Bank performing the activities referred in sub-clause (i)

(o) Words and expressions used in Chapter III and not defined in these Regulations but defined in the Depositories Act, 1996 (Act 22 of 1996), shall have the meaning respectively assigned to them in the Act or the scheme.

2A. (i) " Except as provided in Clause (ii) of regulation 59, the Board may constitute, as and when necessary, a Committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence Executive Director and two other directors as it may deem fit, for the purposes of these regulations;

(ii) The Committee constituted under this regulation shall observe such rules of procedure as may be specified by the Board".

CHAPTER II

SHARES AND SHARE REGISTER

3. **Nature of shares**

The shares of Bank of Maharashtra shall be movable property, transferable in the manner provided under these regulations.

4. **Kinds of Share Capital**

(i) Preference Share Capital means that part of share capital of Bank of Maharashtra which fulfils both the following conditions: -

(A) as respects dividends, it carries a preferential right to be paid a fixed amount or an amount calculated at fixed rate, which may be either free of or subject to income tax and